

न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी का नाम :- हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 148/ 2010

बनवारीलाल पुत्र हजारीराम जाति मेघवाल निवासी 9 टी के डब्ल्यू तहसील
सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

वादी

बनाम

- 1 जगदीश पुत्र हजारीराम जाति मेघवाल निवासी 9 टी के डब्ल्यू तहसील
सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
- 2 साहबराम पुत्र हजारीराम जाति मेघवाल निवासी 9 टी के डब्ल्यू तहसील
सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
- 3 पृथ्वीराज पुत्र हजारीराम जाति मेघवाल निवासी 9 टी के डब्ल्यू तहसील
सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
- 4 नन्दराम पुत्र हजारीराम जाति मेघवाल निवासी 9 टी के डब्ल्यू तहसील
सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
- 5 धर्मपाल पुत्र हजारीराम जाति मेघवाल निवासी 9 टी के डब्ल्यू तहसील
सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
- 6 कान्हाराम पुत्र हजारीराम जाति मेघवाल निवासी 9 टी के डब्ल्यू तहसील
सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
- 7 हेतराम पुत्र ख्यालीराम जाति मेघवाल निवासी 9 टी के डब्ल्यू तहसील
सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
- 8 देवीलाल पुत्र ख्यालीराम जाति मेघवाल निवासी 9 टी के डब्ल्यू तहसील
सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
- 9 इन्द्राज पुत्र कृष्णलाल पुत्र ख्यालीराम जाति मेघवाल निवासी 9 टी के डब्ल्यू
तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
- 10 पप्पू पुत्र कृष्णलाल पुत्र ख्यालीराम जाति मेघवाल निवासी 9 टी के डब्ल्यू
तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
- 11 रामधन पुत्र कृष्णलाल पुत्र ख्यालीराम जाति मेघवाल निवासी 9 टी के डब्ल्यू
तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
- 12 मन्नी देवी पुत्री जालूराम पत्नी काशीराम जाति मेघवाल निवासी 10 एम डी
तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर
- 13 बृजलाल पुत्र सहीराम जाति मेघवाल निवासी 10 एम डी तहसील घडसाना
जिला श्रीगंगानगर
- 14 स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजरव सादुलशहर

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 आर.टी.ए.

उपस्थित :-

- 1 श्री मनोहरलाल सहारण अधिवक्ता
- 2 श्री संत कुमार अधिवक्ता
- 3 राजपैरोकार वास्ते. स्टेट

वादी

प्रतिवादी सं. 1 ता 11

उक्त अनवानी प्रकरण में दिनांक 22.04.2019 को न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री की पालना मे तहसीलदार भू030 सादुलशहर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर पत्रावली में विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई।

Example
9.12.19
सादुलशहर

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण एव प्रतिवादीगण द्वारा विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए इसी अनुसार अन्तिम डिक्री जारी कर विभाजन हेतु निवेदन किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। तहसीलदार (मु.अ) सादुलशहर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। चूंकि पत्रावली में तहसीलदार सादुलशहर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव वादीगण एव प्रतिवादीगण द्वारा कोई आपत्ति जाहिर नहीं करते हुए मुताबिक विभाजन प्रस्ताव विभाजन हेतु निवेदन किया गया एव प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद का कोई विरोध नहीं किया गया है, एव चूंकि विभाजन प्रस्ताव मौका कब्जा काश्त के अनुसार भिजवाया गया है जिसमें पक्षकारान को कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया गया है। ऐसी स्थिति में मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दावा अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित है।


क्रियात्मक आदेश

अतः विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वाद वादी अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार को आदेशित किया जाता है कि :- (1) चक 10 टी के डब्ल्यू प.न. 32/217 मु.न. 22 कि.न. 5 में 0.228 है, नहरी, 0.025 है, रास्ता, कि.न. 6 में 0.253 है, नहरी, कि.न. 11 ता 20 प्रत्येक में 0.253 है, नहरी, कि.न. 24 में 0.063 है, नहरी, कि.न. 25 में 0.253 है, नहरी, कुल 3.352 है, नहरी मय गै.मु. रास्ता आराजी में बनवारीलाल, जगदीश, साहबराम, पृथ्वीराज, नन्दराम, धर्मपाल, कान्हाराम पि० हजारीराम कौम मेघवाल को ब.हि.व. के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

(2) चक 10 टी के डब्ल्यू प.न. 31/217 मु.न. 21 कि.न. 1, 2 प्रत्येक में 0.228 है, नहरी, 0.025 है, गै.मु. रास्ता, कुल 0.506 है, नहरी मय गै.मु. रास्ता, प.न. 32/217 मु.न. 22 कि.न. 1 ता 4 प्रत्येक में 0.228 है, नहरी, 0.025 है, गै.मु. रास्ता, कि.न. 7 ता 10 प्रत्येक में 0.253 है, नहरी, कि.न. 21 ता 23 प्रत्येक में 0.253 है, नहरी, कि.न. 24 में 0.190 है, नहरी कुल 2.973 है, नहरी मय गै.मु. 3.479 है, नहरी मय गै.मु. रास्ता रामधन पि० कृष्णलाल को ब.हि.व. 1.160 है, आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

एवं चक 10 टी के डब्ल्यू जमाबदी सम्वत 2069-2072 खाता संख्या 26/25 से जालू वल्द बागा का नाम कलजन किया जाता है एवं इसी अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण का खाता अलग अलग कायम किया जाकर राजस्व रिकार्ड में वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम अंकन किया जावे। निर्धारित स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर उक्तानुसार ही अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.12.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



Emph
19.12.19
हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सादुलशहर

संख्याक-01

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी :- हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 148 / 2010

बनवारीलाल पुत्र हजारीराम जाति मेघवाल निवासी 9 टी के डब्ल्यू तहसील
सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

वादी

बनाम

- 1 जगदीश पुत्र हजारीराम जाति मेघवाल निवासी 9 टी के डब्ल्यू तहसील
सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
- 2 साहबराम पुत्र हजारीराम जाति मेघवाल निवासी 9 टी के डब्ल्यू तहसील
सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
- 3 पृथ्वीराज पुत्र हजारीराम जाति मेघवाल निवासी 9 टी के डब्ल्यू तहसील
सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
- 4 नन्दराम पुत्र हजारीराम जाति मेघवाल निवासी 9 टी के डब्ल्यू तहसील
सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
- 5 धर्मपाल पुत्र हजारीराम जाति मेघवाल निवासी 9 टी के डब्ल्यू तहसील
सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
- 6 कान्हाराम पुत्र हजारीराम जाति मेघवाल निवासी 9 टी के डब्ल्यू तहसील
सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
- 7 हेतराम पुत्र ख्यालीराम जाति मेघवाल निवासी 9 टी के डब्ल्यू तहसील
सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
- 8 देवीलाल पुत्र ख्यालीराम जाति मेघवाल निवासी 9 टी के डब्ल्यू तहसील
सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
- 9 इन्द्राज पुत्र कृष्णलाल पुत्र ख्यालीराम जाति मेघवाल निवासी 9 टी के डब्ल्यू
तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
- 10 पप्पू पुत्र कृष्णलाल पुत्र ख्यालीराम जाति मेघवाल निवासी 9 टी के डब्ल्यू
तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
- 11 रामधन पुत्र कृष्णलाल पुत्र ख्यालीराम जाति मेघवाल निवासी 9 टी के डब्ल्यू
तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
- 12 मन्नी देवी पुत्री जालूराम पत्नी काशीराम जाति मेघवाल निवासी 10 एम डी
तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर
- 13 बृजलाल पुत्र सहीराम जाति मेघवाल निवासी 10 एम डी तहसील घडसाना
जिला श्रीगंगानगर
- 14 स्टेट ऑफ राजस्थान जसिये तहसीलदार राजस्व सादुलशहर
प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 आर.टी.ए.
डिक्री

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ हवाई सिंह यादव वास्ते इनफिसाल कर्तई रोबरु
हमारे बहाजरी श्री मनोहरलाल सहारण, इन्द्रजीत जलन्धरा वकील वादी, सन्तकुमार
अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11, 13, राजपैरोकार वास्ते स्टेट पेश होकर हुक्म

Emad
11-12-19

दिया जाता है एवं विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार को आदेशित किया जाता है कि :- (1) चक 10 टी के डब्ल्यू प.न. 32/217 मु.न. 22 कि.न. 5 में 0.228 है. नहरी, 0.025 है. रास्ता, कि.न. 6 में 0.253 है. नहरी, कि.न. 11 ता 20 प्रत्येक में 0.253 है. नहरी, कि.न. 24 में 0.063 है. नहरी, कि.न. 25 में 0.253 है. नहरी, कुल 3.352 है. नहरी मय गै.मु. रास्ता आराजी में बनवारीलाल, जगदीश, साहबराम, पृथ्वीराज, नन्दराम, धर्मपाल, कान्हाराम पि० हजारीराम कौम मेघवाल को ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

(2) चक 10 टी के डब्ल्यू प.न. 31/217 मु.न. 21 कि.न. 1, 2 प्रत्येक में 0.228 है. नहरी, 0.025 है. गै.मु. रास्ता, कुल 0.506 है. नहरी मय गै.मु. रास्ता, प.न. 32/217 मु.न. 22 कि.न. 1 ता 4 प्रत्येक में 0.228 है. नहरी, 0.025 है. गै.मु. रास्ता, कि.न. 7 ता 10 प्रत्येक में 0.253 है. नहरी, कि.न. 21 ता 23 प्रत्येक में 0.253 है. नहरी, कि.न. 24 में 0.190 है. नहरी कुल 2.973 है. नहरी मय गै.मु. 3.479 है. नहरी मय गै.मु. रास्ता आराजी में हेतराम, देवीलाल पि० ख्यालीराम को ब.हि.ब. 2.319 है. , इन्द्राज, पप्पू रामधन पि० कृष्णलाल को ब.हि.ब. 1.160 है. आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

एवं चक 10 टी के डब्ल्यू जमाबदी सम्वत 2069-2072 खाता संख्या 26/25 से जालू वल्द बागा का नाम कलजन किया जाता है एवं इसी अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण का खाता अलग अलग कायम किया जाकर राजस्व रिकार्ड में वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम अंकन किया जावे। बसव मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 19.12.19 को जारी किया गया।

Egml 19
19.12.19
हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सादुलशहर

